

मध्यप्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय,
वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / ४९१ / १७७३२८७ / २०२३ / २०-३
प्रति,

समस्त— कलेक्टरर्स,
मध्यप्रदेश।

भोपाल दिनांक २६ / १२ / २०२४

विषय:— मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षायें सत्र 2024–2025 के सफल संचालन हेतु कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति एवं परीक्षा अवधि में प्रश्न पत्रों के परिवहन संबंधी दिशा निर्देश।

—००—

हायर सेकेण्डरी/हाईस्कूल व अन्य परीक्षायें सत्र 2024–2025 की परीक्षायें क्रमशः 25 एवं 27 फरवरी 2025 से आयोजित होना नियत है। जिला कलेक्टर के द्वारा नामांकित अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन में परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्षों को प्रश्न पत्रों के लिफाफे वितरित किये जायेंगे। प्रश्न-पत्र वितरण के पश्चात सुरक्षा व्यवस्था के अधीन प्रश्न-पत्रों की सील्ड पेटियां निकटतम थाने में पूर्व वर्षों के भाँति रखा जाना है।

2— मण्डल परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र संबंधित थाने से निकालने से लेकर संबंधित परीक्षा केन्द्रों पर पहुंचाने तक प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता एवं सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध किये जाना आवश्यक है ताकि मण्डल परीक्षायें शुचितापूर्ण एवं निर्विघ्न रूप से सम्पन्न हो सके।

3— अतः प्रत्येक परीक्षा दिवस पर थाने से प्रश्न पत्र निकालने एवं संबंधित परीक्षा केन्द्र तक केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ सुरक्षित पहुंचाने हेतु प्रत्येक परीक्षा केन्द्रवार एक-एक कलेक्टर प्रतिनिधि (C.R.) की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति का कार्य दिनांक 15.01.2025 तक आवश्यक रूप से कर लिया जावे। साथ ही यह सुनिश्चित किया जावे कि नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) से अनिम्न श्रेणी का अधिकारी/कर्मचारी हो। जिला कलेक्टर द्वारा नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधियों के नाम, मोबाइल नंबर व अन्य आवश्यक जानकारियां संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा <https://mpbse.conductofexam.in> पर निर्धारित प्रारूप में दिनांक 20.01.2025 तक अनिवार्यतः अपलोड करेंगे। कलेक्टर प्रतिनिधियों के निम्न दायित्व होंगे—

- 3.1— प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि केन्द्राध्यक्ष से सम्पर्क कर मण्डल द्वारा निर्धारित एप के माध्यम से संबंधित थाना/केन्द्र पर उपस्थित होकर मण्डल के निर्देशानुसार थाने से प्रश्न पत्र निकलवाने, परीक्षा केन्द्र तक सुरक्षित पहुंचाने एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेंगे।
- 3.2— थाने से प्रश्न पत्र निकलवाने के उपरांत केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केन्द्र पर पहुंचकर सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं परीक्षा कार्य में संलग्न समस्त शिक्षकों एवं कर्मचारियों के सभी मोबाइल फोन मण्डल के निर्देशानुसार बन्द कराकर एक अलमारी में सील किये गये हैं तथा किसी के पास मोबाइल फोन शेष नहीं है।
- 3.3— परीक्षा केन्द्र पर प्रश्नपत्रों के बॉक्स खुलने के उपरान्त सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्र के कंट्रोल रुम/केन्द्राध्यक्ष के कक्ष में, प्रश्न-पत्रों के कोई भी पैकेट नहीं खोले जाये।
- 3.4— यह सुनिश्चित करेंगे कि केन्द्राध्यक्ष द्वारा पर्यवेक्षकों को प्रदत्त प्रश्न-पत्रों के पैकेट सील्ड हैं एवं उन्हें आवंटित कर पंजी प्रविष्टि कर हस्ताक्षर कराये गये हैं।
- 3.5— यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षा केन्द्र पर प्रश्न-पत्रों का सील्ड बॉक्स केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्रातः 08:30 बजे के पूर्व नहीं खोला गया तथा प्रातः 8:45 बजे के पूर्व पर्यवेक्षकों को उपलब्ध नहीं कराया गया।
- 3.6— प्रतिदिन परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 10:00 बजे तक उपस्थित रहकर परीक्षा के सुचारू रूप से प्रारंभ होने के उपरांत ही परीक्षा केन्द्र को छोड़ेंगे।

निरंतर...2

4— गतवर्षानुसार इस वर्ष भी थाने से प्रश्न पत्र निर्धारित समय पर ही प्राप्त कर, सुरक्षा के अधीन परीक्षा केन्द्रों पर लाकर परीक्षा संचालन की कार्यवाही की जाना है। इस हेतु प्रत्येक थाने में गोपनीय सामग्री निकालने हेतु केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि के समक्ष प्रश्न पत्र थाने से निकालने की कार्यवाही की जावेगी। कलेक्टर के प्रतिनिधि की अनुपस्थिति में संबंधित केन्द्राध्यक्ष द्वारा जिला कलेक्टर अथवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (नोडल अधिकारी) को दूरभाष पर सूचित कर उनके निर्देशानुसार थाने से प्रश्न-पत्र निकालने की कार्यवाही करेंगे। प्रश्न-पत्र निकालते समय प्रत्येक दिन केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष, थाना प्रभारी एवं कलेक्टर के प्रतिनिधि थाने में रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक-1 में निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर किये जाना अनिवार्य होगा। केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष प्रतिदिन ड्यूटी (एक दिन केन्द्राध्यक्ष एवं दूसरे दिन सहायक केन्द्राध्यक्ष) बदलकर प्रश्न-पत्र के पैकेट्स स्वयं निकालते समय पुलिस स्टेशन पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक-1 व परीक्षा केन्द्र पर रखी अभिरक्षा पंजी क्रमांक-2 में यथास्थान प्रविष्टियाँ कर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करेंगे।

5— सत्र 2024-25 की मण्डल परीक्षाओं के सफल संचालन हेतु प्रत्येक थाने से परीक्षा केन्द्र तक प्रश्नपत्रों के ले जाने के लिये केन्द्रवार कलेक्टर प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाना है, जो प्रश्नपत्रों को थाने से निकलवाकर केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केन्द्र तक जायेंगे। केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कलेक्टर प्रतिनिधि के द्वारा प्रश्नपत्रों को थाने से परीक्षा केन्द्र तक ले जाते समय ट्रैकिंग की व्यवस्था की गई है, यह ट्रैकिंग मोबाइल एप के माध्यम से की जावेगी।

6— कलेक्टर प्रतिनिधियों के लिये मोबाइल एप के इंस्टालेशन एवं उपयोग संबंधी प्रक्रिया परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है।

7— मण्डल परीक्षा कार्य अत्यावश्यक सेवा घोषित किया गया है। अतः मण्डल परीक्षाओं हेतु नियुक्त केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष एवं कलेक्टर प्रतिनिधि द्वारा कार्य रथल पर अनुपस्थित होने अथवा मण्डल निर्देशों की अहेलना करने पर सर्वसंबंधितों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ उक्त अधिनियम के तहत भी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे। साथ ही प्रश्नपत्रों की गोपनीयता भंग करने अथवा गोपनीयता भंग का प्रयास करने की स्थिति में मध्यप्रदेश परीक्षा अनिवार्यम् 1937 में विहित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावे।

अतः मण्डल परीक्षायें सत्र 2024-2025 के सफल संचालन हेतु समस्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (नोडल अधिकारी) उक्तानुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाहियाँ पूर्ण करते हुये परीक्षा तिथियों में परीक्षा संपादित कराना सुनिश्चित करें।

(डॉ. संजय गोयल)

सचिव

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग, भोपाल

भोपाल दिनांक 26/12/2024

पृष्ठांकन क्रमांक / ७९२/ 1773287 / 2023 / 20-3

प्रतिलिपि—

- 1— आयुक्त, लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 - 2— समस्त— पुलिस अधीक्षक, मध्यप्रदेश।
 - 3— समस्त— मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
 - 4— आंचलिक अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
 - 5— समस्त— संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश।
 - 6— समस्त— संभागीय उपायुक्त/सहायुक्त/जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, म.प्र।
 - 7— समस्त— जिला शिक्षा अधिकारी, मध्यप्रदेश।
 - 8— समस्त— प्राचार्य, जिला समन्वयक संस्थायें, मध्यप्रदेश।
 - 9— समस्त— संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश।
 - 10— नि.स.— अध्यक्ष/सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(संजय गोयल)

उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षायें वर्ष 2024–25 के लिए प्रश्न–पत्रों की ट्रैकिंग संबंधी मोबाईल एप के उपयोग हेतु निर्देश

इस वर्ष मण्डल परीक्षाओं की गोपनीय सामग्री संबंधित थाने से परीक्षा केन्द्र तक ले जाने की कार्यवाही की ट्रैकिंग मोबाईल एप के माध्यम से सम्पादित की जावेगी। मोबाईल एप को इंस्टाल करने तथा उपयोग करने की कार्यवाही निम्नानुसार की जावेगी :—

- प्रत्येक परीक्षा केन्द्र हेतु नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर दिनांक 15.01.2025 से 20.01.2025 के मध्य मोबाईल एप की लिंक प्रेषित की जावेगी।
- कलेक्टर प्रतिनिधि के मोबाईल पर ऐप इंस्टाल करने हेतु इस लिंक पर क्लिक करना होगा।
- लिंक पर क्लिक करने पर मोबाईल एप संबंधित कलेक्टर प्रतिनिधि के मोबाईल पर स्वतः इंस्टाल हो जायेगा।
- प्रत्येक कलेक्टर प्रतिनिधि को मोबाईल एप पर स्वयं को रजिस्टर्ड करना होगा। रजिस्टर्ड करने हेतु सर्वप्रथम अपना मोबाईल नम्बर दर्ज करना होगा। मोबाईल नम्बर दर्ज करने पर 05 डिजिट का ओटीपी प्राप्त होगा। प्राप्त ओटीपी प्रविष्टि करने पर एवं कलेक्टर प्रतिनिधि के मण्डल में पूर्व से दर्ज मोबाईल नम्बर का मिलान होने पर कलेक्टर प्रतिनिधि मोबाईल एप पर रजिस्टर्ड हो जायेंगे।
- सत्र 2024–25 की मण्डल परीक्षाओं के लिये निर्धारित केवल नवीन परीक्षा केन्द्र के प्रत्येक कलेक्टर प्रतिनिधि को दिनांक 20.01.2025 से 25.01.2025 के मध्य संबंधित पुलिस थाने एवं परीक्षा केन्द्र में जाकर मोबाईल एप के माध्यम से एक–एक सेल्फी इस प्रकार लेनी है, कि संबंधित पुलिस थाने एवं परीक्षा केन्द्र का नाम, पता सेल्फी के बैकग्राउण्ड में स्पष्ट प्रदर्शित हो रहा हो।
- जिला ई–गवर्नेंस मैनेजर द्वारा कलेक्टर प्रतिनिधियों हेतु विकसित मोबाईल एप के इंस्टालेशन हेतु आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराना, तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करना एवं मोबाईल एप के माध्यम से ऑनलाईन मॉनिटरिंग हेतु जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को आवश्यक तकनीकी सहयोग किया जावेगा।

प्रत्येक परीक्षा दिवस पर मोबाईल एप के माध्यम से निम्नानुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे :—

- प्रत्येक परीक्षा दिवस पर थाने से प्रश्न–पत्र निकालने की कार्यवाही के पूर्व नियुक्त कलेक्टर प्रतिनिधि संबंधित थाने पर निर्धारित समय प्रातः 6.00 बजे तक पहुँच कर मोबाईल एप के माध्यम से एक सेल्फी अपलोड करेंगे, जिसमें संबंधित थाने का नाम पता बैकग्राउण्ड में स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा हो।
- परीक्षा तिथियों में थाने एवं परीक्षा केन्द्र से अपलोड की गई सेल्फी से सर्व संबंधितों को रियल टाईम में कलेक्टर प्रतिनिधि एवं केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के थाने में उपस्थित होने की तिथि व समय तथा परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने की तिथि व समय के साथ–साथ थाने से परीक्षा केन्द्र तक की गई यात्रा का लाइव समय की जानकारी ऑन लाईन प्रदर्शित हो सकेगी।

- सेल्फी अपलोड करने के पश्चात ही संबंधित केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष की उपस्थिति में मण्डल द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रश्न पत्रों का बाक्स थाने से निकालने की कार्यवाही सम्पादित की जावें।
- प्रश्न पत्रों के बाक्स संबंधित थाने से निकालने के उपरान्त प्रत्येक कलेक्टर प्रतिनिधि संबंधित केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष के साथ परीक्षा केन्द्र तक गोपनीय सामग्री का परिवहन सुनिश्चित करेंगे।
- परीक्षा केन्द्र पर पहुँचने पर प्रत्येक कलेक्टर प्रतिनिधि एक सेल्फी इस प्रकार मोबाईल ऐप पर अपलोड करेंगे, कि सेल्फी के बैकग्राउण्ड में परीक्षा केन्द्र का नाम पता स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रहा हो।
- इसके पश्चात ही केन्द्राध्यक्ष के कक्ष में प्रश्न-पत्रों के बाक्स खोले जाने की कार्यवाही की जावेंगी।
- प्रश्न पत्रों के बाक्स खोले जाने पर मोबाईल ऐप पर प्रश्न पत्र के पैकेट की संख्या विषयवार दर्ज की जावें।
- यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रश्न पत्र पैकेट परीक्षा कक्ष में ही खोले जावें। पैकेट संख्या दर्ज करने की कार्यवाही के उपरान्त प्रत्येक कलेक्टर प्रतिनिधि को परीक्षा प्रारंभ होने के निर्धारित समय (प्रातः 9.00 बजे) से एक घण्टा पश्चात तक परीक्षा केन्द्र पर उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। एक घण्टा व्यतित होने के उपरान्त कलेक्टर प्रतिनिधि मोबाईल ऐप से "लागऑउट" करेंगे।
- मण्डल परीक्षाओं के सफल संचालन के लिये मण्डल द्वारा तैयार किये गये एप डाउनलोड करने के लिये मण्डल मुख्यालय के अधिकृत अधिकारियों, संभागीय मुख्यालय पर संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण एवं मण्डल के संभागीय अधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला समन्वय संस्था को उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर एक लिंक उपलब्ध कराई जावेगी, जिसके माध्यम से संबंधित अधिकारी एप डाउनलोड कर सकेंगे। एप डाउनलोड करने के उपरान्त संबंधित अधिकारी द्वारा अपना रिजस्टर्ड मोबाईल नम्बर दर्ज करने पर ओ.टी.पी. के माध्यम से सफलता पूर्वक लॉगिन कर सकेंगे। एप में दर्ज मोबाईल के अतिरिक्त अन्य कोई मोबाईल नम्बर से लॉगिन नहीं किया जा सकेगा। अतः यह आवश्यक है कि सर्व संबंधित अपने सही मोबाईल नम्बर मण्डल को उपलब्ध करावें।
- एप में लॉगिन होने के उपरान्त मण्डल मुख्यालय पर प्रदेश स्तर के, संभागीय मुख्यालय पर संबंधित संभाग के जिलों के तथा जिला स्तर पर संबंधित जिले के कलेक्टर प्रतिनिधियों के थाने पर उपस्थित होने की तिथि, समय व स्थान तथा थाने से परीक्षा केन्द्र तक परिवहन की वास्तविक अवधि की जानकारी हो सकेगी। यदि कोई कलेक्टर प्रतिनिधि अपने स्थान पर रहा है तो उक्त स्थिति में भी संबंधित की जानकारी एप के माध्यम से ही सर्व संबंधितों को प्राप्त हो जावेगी।



(ओ०एल०मण्डलोई)

उप सचिव

म०प्र० शासन, स्कूल शिक्षा विभाग,